सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 201
03/03/2017

श्री कैलाश दास, वरीय राजभाषा सहायक, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग सरकारी सेवा से बर्खास्त

पटना, 03 मार्च, 2017 :– श्री कैलाश दास, वरीय राजभाषा सहायक, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग ने दी और बताया कि दिनांक– 14 जनवरी, 2015 को दैनिक हिन्दुस्तान पटना में प्रकाशित परीक्षा देनेवाले कर्मियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसा वसूलने के आरोपों के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में श्री दास पर पाच प्रकार के आरोपों को प्रमाणित पाया गया । तदनुसार श्री दास द्वारा परीक्षार्थियों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप घटनास्थल सहित प्रमाणित हुआ, जाच प्रतिवेदन में श्री दास के बैंक खाते में राज्य के विभिन्न स्थानों से नाजायज ढंग से अनेक व्यक्तियों द्वारा राशि प्रविष्टि का आरोप प्रमाणित हुआ, श्री दास पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली की संगत धारा के अधीन भ्रष्टाचार में संलिप्तता, पद का दुरूपयोग तथा सरकारी पद पर रहते हुए अनैतिक आचरण का आरोप प्रमाणित पाया गया उनपर छुट्टी के दिनों में कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर नाजायज ढंग से पैसा वसूली का आरोप भी प्रमाणित हुआ तथा श्री दास प्रायः अपनी सीट से अनुपस्थित पाए जाते थे जिसके कारण उनसे स्पष्टीकरण हुआ तथा अनुशासनहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित हुआ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री कैलाश दास के विरूद्ध विधिवत संचालित विभागीय कार्यवाही से प्राप्त रिपोर्ट के प्रसंग में सभी प्रमाणित आरोपों के आधार पर 2 मार्च, 2017 की तिथि से उन्हें प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आदेश से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

******